



उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०,
मुख्यालय, 2-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

टीबीएक्स

0522-4151200

फैक्स

0522-2629284

ई मेल

upcb.bkg@upcb.com

पत्रांक : बैंकिंग / 2024-25 / एक-134/341

दिनांक : 13 नवम्बर, 2024

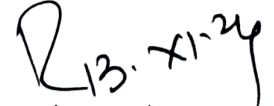
शाखा प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक,
उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०,
समस्त शाखायें,
उ०प्र०।

विषय: व्यवसाय विविधीकरण योजनान्तर्गत बैंक में कार ऋण के सम्बन्ध में आयु सीमा में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

कार लोन सम्बन्धी निर्गत परिपत्र संख्या बैंकिंग/व्यव./2015-16/58, दिनांक 07.09.2015 के बिन्दु संख्या 1(3) में कार ऋण की वसूली के सम्बन्ध में वसूली अवधि सेवारत मामले में 55 वर्ष (विशिष्ट मामलों में अधिकतम 57 वर्ष) निर्धारित की गयी थी, अन्य मामलों यथा-गैर सेवारत या निजी व्यवसाय करने वाले ऋणियों के सम्बन्ध में ऋण वसूली की समय सीमा अस्पष्ट थी, जिसे बैंक की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक-28.10.2024 में पारित प्रस्ताव सं०-09 के माध्यम से संशोधित करते हुए कार ऋण लेने के इच्छुक सेवारत, गैर सेवारत तथा स्वयं का व्यवसाय करने वाले ग्राहकों/इच्छुक व्यक्तियों की आयु सीमा 55 वर्ष (विशिष्ट मामलों में अधिकतम 57 वर्ष) में संशोधन करते हुए कार ऋण वसूली की अवधि को 65 वर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया।

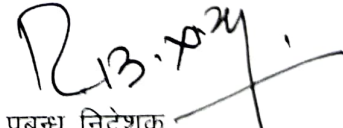
उक्त के अतिरिक्त अन्य दिशा-निर्देश/प्रतिबन्ध पूर्व में निर्गत परिपत्रों के अनुसार यथावत लागू रहेंगे।

उक्त दिशा-निर्देश परिपत्र निर्गत होने के तिथि से प्रभावी होंगे।


(आर०के० कुलश्रेष्ठ)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।
3. श्री राहुल श्रीवास्तव, प्रबन्धक, आईटी को इस निर्देश के साथ कि वे बैंक की वेबसाइट पर उक्त परिपत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त महाप्रबन्धक/विभाग प्रभारी, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, मुख्यालय, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, 472 रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6. स्टाफ आफिसर-अध्यक्ष प्रकोष्ठ को अध्यक्ष महोदय, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० के अवलोकनार्थ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
8. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ।


प्रबन्ध निदेशक
85